

नेपाल राजपत्र

भाग ३

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

काठमाडौं, कार्तिक २८ गते २०२६ साल

श्री ५ को सरकार
निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको
सूचना

जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ को दफा ७ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले भक्तपुर जिल्लाको चितापाल गाउँ पञ्चायतमा काठमाडौं ईष्ट-लोकेटर निर्माण कार्यको लागि वाग्मती अडचल, भक्तपुर जिल्लाको चितापाल गाउँ पञ्चायत वडा नं. २ को निम्नलिखित जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय गरेकोले सम्बन्धित [जग्गाधनीले जग्गाको मोल र अरू नोकसानो बापत यस ऐन र जग्गा प्राप्ति नियमहरू २०२६ बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हुँदा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

पूर्व खोला, पश्चिम कि. नं. ५६ को बाँकी जग्गा र कि. नं. ५६, ६२, ६३ को जग्गा, उत्तर कि. नं. ४६, ४७, ५५, ५६ को बाँकी जग्गा र कि. नं. ५१, ५२ को जग्गा, दक्षिण बाटो यति चार-किल्लाभित्र पन्ने कि.नं. ४६ बाट १-४-२, कि. नं. ४७ बाट ५-१-०, कि.नं. ५५ बाट ०-५-२, कि. नं. ५६ बाट २-८-० र कि. नं. ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ५३, ५४, ५७ र ५८ पूरा समेत गरी जम्मा जग्गा रोपनी ३३-२-१ तेंतीस रोपनी दुईआना एक पैसाको मालपोत लाग्ने रु. ११०।०२ एकसय दश रूपैयाँ दुई पैसा लागेको कित्ता- - - - - १

आज्ञाले-

रामचन्द्र मलहोत्र
श्री ५ को सरकारको सचिव

(५)

६२३
आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

समाज संविधान
कानून

समाज संविधान कानून

पुस्तक 396 नं द्वे लक्षण लिखित

समाज संविधान
कानून कानून

यह ग्रन्थीम् लिखि छ (१) यह एक लिखि लिखित ग्रन्थ है।
यह ग्रन्थाम् लिखित है। यह लिखित ग्रन्थाम् लिखित है।
यह ग्रन्थाम् लिखित है। यह लिखित ग्रन्थाम् लिखित है।
यह ग्रन्थाम् लिखित है। यह लिखित ग्रन्थाम् लिखित है।
यह ग्रन्थाम् लिखित है। यह लिखित ग्रन्थाम् लिखित है।
यह ग्रन्थाम् लिखित है। यह लिखित ग्रन्थाम् लिखित है।
यह ग्रन्थाम् लिखित है। यह लिखित ग्रन्थाम् लिखित है।
यह ग्रन्थाम् लिखित है। यह लिखित ग्रन्थाम् लिखित है।
यह ग्रन्थाम् लिखित है। यह लिखित ग्रन्थाम् लिखित है।

१ लिखित ग्रन्थाम् लिखित है।

यह ग्रन्थाम् लिखित है। यह लिखित ग्रन्थाम् लिखित है।
यह ग्रन्थाम् लिखित है। यह लिखित ग्रन्थाम् लिखित है।
यह ग्रन्थाम् लिखित है। यह लिखित ग्रन्थाम् लिखित है।
यह ग्रन्थाम् लिखित है। यह लिखित ग्रन्थाम् लिखित है।
यह ग्रन्थाम् लिखित है। यह लिखित ग्रन्थाम् लिखित है।
यह ग्रन्थाम् लिखित है। यह लिखित ग्रन्थाम् लिखित है।
यह ग्रन्थाम् लिखित है। यह लिखित ग्रन्थाम् लिखित है।
यह ग्रन्थाम् लिखित है। यह लिखित ग्रन्थाम् लिखित है।
यह ग्रन्थाम् लिखित है। यह लिखित ग्रन्थाम् लिखित है।

समाज संविधान
कानून कानून

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

४२६ (१)